**International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IJRESS)**
**Available online at: http://euroasiapub.org**
**Vol. 7 Issue 8, August- 2017**
**ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 | Thomson Reuters Researcher ID: L-5236-2015**

# स्रकारी एवं निजी विद्यालयों की माध्यमिक स्तर की छात्राओं की शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन''

Dr. Rajesh Kumar
Vice Principal & Assistant Professor
Defence (PG) College of Education
Tohana Fatehabad Haryana

मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। समाज को उन्नति के पथ पर ले जाना बौद्धिक शक्ति पर निर्भर करता है। जिसके लिए उसे शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार कोई रथ दोनों पहियों के बिना चलायमान नहीं होता अर्थात उसके लिए दोनों पहियों का होना आवश्यक है। उसी प्रकार समाज में जीवन रुपी रथ को विकास के मार्ग पर चलाने के लिए पुरुषों के साथ–साथ स्त्रियों का शिक्षित होना अनिवार्य है।

भृतृहरि के शब्दों में:–

विद्या के अभाव में व्यक्ति पशुवत रह जाता है।विवेक के अभाव में व्यक्ति भी पशु बन जाता है।''

जहां शिक्षा की बात आती है तो यह केवल पुरुष वर्ग तक ही सीमित नहीं बल्कि नारी शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है।

''धरती से धीरज को लेकर
ले वायु से चपल उड़ान
सागर से गहराई लेकर
हुआ नारी का निर्माण''

संसार रुपी बगिया में अनेक फूल अपनी खुशबू से पूरी वाटिका महका देते हैं। उसी फूल का नाम है नारी।

मनुस्मृति में कहा गया है–

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।''

इस प्रकार अगर समाज को शिक्षित करना है तो नारी को शिक्षित करना होगा।

1.1 स्त्री शिक्षा का विकासः

भारत शिक्षा पटल पर उभरती हुई नारी शिक्षण संस्थानों तथा प्राईमरी स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक बढ़ती हुई संख्या से सिद्ध हो जाताहै कि स्त्री शिक्षा प्रगति की ओर अग्रसर है। स्त्री के महत्व की ओर संकेत करते हुए विश्वविद्यालय आयोग ने कहा है–

''शिक्षित नारी के बिना शिक्षित पुरुष नहीं हो सकता''

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से स्त्री–शिक्षा की प्रगति का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तनों के साथ–साथ स्त्री शिक्षा का इतिहास अत्यन्त निराशापूर्ण है। परन्तु कोई सन्देह नहीं है कि कोई समय था जब स्त्री को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था।

1.3 हरियाणा में स्त्री शिक्षाः

भारत के इतिहास में हरियाणा का गौरवमय स्थान है। यदि इस प्रदेश को भारतवर्ष का हृदय कहे तो कोई अतिश्योक्ति न होगी। भारतीय सभ्यता एवम् संस्कृति का पहले पहल विकास इसी प्रदेश में हुआ था। 2010–11 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 253.51लाख है। इनमें से 165.09लाख ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा 88.421लाख लोग शहरों में रहते हैं। हरियाणा की साक्षरता दर 2010–11 के अनुसार 75.55 प्रतिशत है।जिन में से पुरुष साक्षरता दर 84.08% प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता दर 65.93%प्रतिशतहै। हरियाणा में प्राईवेट संस्थानों ने भीस्त्री शिक्षा के प्रसार का कार्य आरम्भ किया। हरियाणा राज्य को पंजाब से अलग हुए लगभग 60 वर्षहो गए हैं। इन वर्षों में हरियाणा ने सभी क्षेत्रों में शिक्षा का विकास किया है। विशेष रुप से स्त्री शिक्षा के विकास के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे छात्राओं के लिए स्कूलों में वृद्धि, प्राथमिक, माध्यमिक यहां तक की उच्च स्तर पर भी मुफत शिक्षा और प्राईवेट शिक्षा देने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। उनको मुफत किताबें, वर्दी, वजीफे और दूसरे गांव पढने जाने वाली छात्राओं को मुफत साईकिल देने, बस पास किराए में रियायत आदि कार्य हरियाणा सरकार ने किए हैं कुल मिलाकर स्त्री शिक्षा में सुधार हुआ है।

1.4 टोहाना खण्ड में माध्यमिक शिक्षाः

टोहानाखण्ड में माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक सरकारी एवम् निजि विद्यालय स्थापित किए गए हैं। जो शिक्षा के विकास की ओर निरन्तर अग्रसर हैं। इस खण्ड में 9 क्लस्टरमेंकुल 188 विद्यालय हैं। जिनमें से 108 सरकारी एवं 80 निजी विद्यालय हैं।

1.5 शोध समस्या का महत्वः

एक शिक्षित नारी पुरुषों के चरित्र व सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय विकास की सच्ची संरक्षित है। ''एक लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है किन्तु एक लड़की की शिक्षा की सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा होती है।'' पण्डित जवाहर लाल नेहरु जी के वक्तव्य से स्त्री स्त्री शिक्षा का महत्व काफी सीमा तक स्पष्ट है क्योंकि शिक्षा से ही राष्ट्र की नींव होती है। इसलिए भारतीय संविधान न केवल नारी को समानता का अधिकार देता है वरन् राज्य को इतना समर्थ भी बनाता है कि वह नारी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष कदम उठा सके। समस्त भारत के आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रथम कक्षा की प्रत्येक 100 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की बालिकाओं में से क्रमशः 40 ग्रामीण तथा 65 शहरी बालिकाएं पांचवीं कक्षा तक मात्र 18 ग्रामीण तथा 52 शहरी बालिकाएं विद्यालयों में बनी रहती हैं। ग्रामीण भारत में जहां भारत की तीन चौथाई जनता निवास करती है। महिलाओं में बाल–विवाह, असुरक्षित मात्त्व, अपर्याप्त स्वास्थ्य तथा विकास सरंचना, निरक्षरता आदि नारी की पहले से पराधीन स्थिति को और भी अधिक अनिश्चित बनाते हैं। इसलिए नारी शिक्षा बहुत ही आवश्यक है ताकि वह अपनी स्थिति में सुधार कर सके। ऐसे कौन से कारण हैं जो माध्यमिक स्तर की छात्राओं की शिक्षा प्राप्त करने में बाधक बने हुए हैं। इन्हीं कारणों की खोज के लिए वर्तमान शोध कार्य फतेहाबाद जिले के टोहानाखण्ड में किया गया है।

1.6 शोध समस्या का कथन :

''फतेहाबाद जिले के टोहानाखण्ड में सरकारी एवं निजी विद्यालयों की माध्यमिक स्तर की छात्राओं की शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन''।

1.7 शोध समस्या के उद्देश्य :

1. माध्यमिक स्तर की छात्राओं की पारिवारिक समस्याओं का अध्ययन।
2. माध्यमिक स्तर की छात्राओं की विद्यालयी समस्याओं का अध्ययन।
3. माध्यमिक स्तर की छात्राओं का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन।
4. माध्यमिक स्तर की छात्राओं की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन।

1.8 शोध समस्या की परिकल्पनाएंः

1. माध्यमिक स्तर की सरकारी एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं की शिक्षा के प्रति पारिवारिक समस्याओं में कोई अन्तर नहीं होगा।

2. माध्यमिक स्तर की सरकारी एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं की शिक्षा के प्रति विद्यालयी समस्याओं में कोई अन्तर नहीं होगा।

3. माध्यमिक स्तर की सरकारी एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं में शिक्षा के प्रति सुविधाओं में कोई अन्तर नहीं होगा।

4. माध्यमिक स्तर की सरकारी एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं की शैक्षिक समस्याओं में कोई अन्तर नहीं होगा।

1.9 शोध विधिः

प्रस्तुत लघुशोध कार्य के लिए शोधर्ता ने सर्वेक्षण विधि को अपनाया है। सर्वेक्षण विधि में समस्या से सम्बन्धित विभिन्नस्थानों व प्रक्रियाओं द्वारा प्रदत्त एकत्रित किए जाते हैं। जैसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, निरिक्षण, सर्वेक्षणआदि। शोधकर्ता ने इन प्रक्रियाओं में से प्रश्नावली विधि को अपनाया है।

1.10 उपकरण

अध्ययन के लिए स्वयं निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग कियाहै।

1.11 सांख्यिकी विधिः

चयनित विद्यालयों की छात्राओंकेमत जानने के लिए प्रतिशत निकाला गया है।

1.12 परिसीमाएंः

1. यह अध्ययन फतेहाबाद जिले के टोहाना खण्ड तक सीमित रखा गया है।

2. टोहानाखण्ड के सरकारी एवं निजि विद्यालयों की 120 छात्राओं में से उनकी शैक्षिक समस्याओं के विषय में राय ली गईहै।

3. अध्ययन को केवल माध्यमिक स्तर की छात्राओं तक सीमित रखा गया है।

4. अध्ययन न्यायदर्श के लिए सीमित रखा गया है।

परिकल्पना परिक्षण नः 1

माध्यमिक स्तर की सरकारी एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं की पारिवारिक समस्याऐं सामान्य स्तर की हैं । परन्तु एक अन्तर देखनें को मिलता है कि निजी विद्यालयों में छात्राओं की संख्या में निरंतर वृद्वि हो रही है । ऐसा माता पिता का छात्राओं की शिक्षा में प्रति सकरात्मक दृष्टिकोंण कें कारण है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण ही माता पिता लड़कियों को निजी विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति देते हैं ।

परिकल्पना परिक्षण नः 2

माध्यमिक स्तर की सरकारी एवं निजी विद्यालयों की शिक्षा के प्रति विद्यालयी समस्याओं में कुछ समानताएं एवं असमानताएं पाई गई हैं। समानताओं में अधिकाशं छात्राएं ंदूसरे गावों से पढ़ने के लिए आती है। जिनमें दोनो प्रकार के विद्यालयों की छात्राएं सम्मिलित हैं। इसी प्रकार सरकारी विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों में सहशिक्षा के कारण छात्राओं को कठिनाईयों का सामना करना पडता है । दोनो में बुनियादी सुविधाऐं आवश्यकता से कम उपलब्ध होती है । असमानताओं में सांस्कृतिक गतिविद्यियों, खेलों पर ध्यान सरकारी विद्यालयों की अपेंक्षा निजी विद्यालयों मे अधिक दिया जाता है । इसके साथ– साथ विषयों के मामले ंमे निजि विद्यालय व सरकारी विद्यालयो की अपेक्षा अधिक अच्छे हैं । क्योंकि निजी विद्यालयों में अधिक विषय होने के कारण छात्राऐं अपनी रूचि के अनुसार चयन करती हैं । जबकि सरकारी विद्यालयों में छात्राओं पर विषय थोपे जाते है ।

परिकल्पना परिक्षण नः 3

माध्यमिक स्तर की छात्राओं की शिक्षा के प्रति सुविधाओं में दोनो प्रकार के विद्यालयों में पर्याप्त मुख्य अन्तर यह है कि निजी विद्यालयों में पुस्तकालयों की सुविधा है और छात्राओं पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। ऐसा सरकारी विद्यालयों में नहीं। निजी विद्यालयों में किसी भी प्रकार की शिक्षा सुविधाएं नहीं दी जाती। दूसरी ओर सरकार विद्यालय में छात्राओं को विशेषकर आठवीं तक मुफत पाठ्यपुस्तकें व अन्य सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती है । सरकारी विद्यालयों में लड़कियों की अन्य शिक्षा सुविधाए भी प्रदान की जाती है ।

परिकल्पना परिक्षण नः 4

सरकारी एवं निजी विद्यालयों की छात्राओं की शैक्षिक समस्याओं में मुख्य अन्तर यह है कि निजी विद्यालयों की छात्राओं की विद्यालयी ,पारिवारिक व्यक्तिगत तथा विद्यालय के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित स्थिति सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा अच्छी है ।

शैक्षिक सुझावः

प्रस्तुत शोध कार्य के पश्चात शोधकर्ता ने निम्नलिखित सुझाव बताए–

1. लड़कियों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए गांव/शहर के नजदीक उच्च शिक्षा सहसंस्थानों की स्थापना करनी चाहिए ताकि लड़कियों को पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े।

2. लड़कियों के लिए स्कूलों की अलग से स्थापना की जानी चाहिए। क्योंकि अधिकतर गांव में सहशिक्षा के कारण भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लड़कियां लड़कों के स्कूल में संकुचित हो जाती हैं। वे स्वतन्त्र रुप से पढ़ाई नहीं कर पाती ।

3. अधिकतर लड़कियां आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाती। क्योंकिस्वयम पर

उन्हें पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती। अतः लड़कियों के लिए 12वीं तक फ्री पाठ्य सामग्री तथा अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

4. स्कूलों में महिला अध्यापकों का न होना भी लड़कियों की पढ़ाई में बाधक है। जहां तक सम्भव हो सके। लड़कियों के स्कूलों में महिला अध्यापकों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। यदि पुरुष अध्यापक हो तो उनकी आयु 40 वर्ष से अधिक हो। लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कियों को अधिक से अधिक शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तभी वे आत्मनिर्भर हो पाएंगी।

5. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा समाज में इस संदेश को आसानी से पहुंचाया जा सकता है कि लड़की और लड़के में कोई अन्तर नहीं है वे सब समान हैं । इसमें उन्हें शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस कार्यक्रमों के द्वारा समाज के लोगो को यह दिखाया जा सकता है कि लड़कियां भी लड़कों के समान शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और वे भी लड़कों के समान रोजगार इत्यादि कार्य करने के योग्य हैं।

6. स्कूलों में माता–पिता अध्यापक संगठन स्थापित किए जाने चाहिए। ऐसे संगठन स्थापित हो सकेगा। इसके अतिरिक्त माता–पिता अध्यापक संगठन शिक्षा के विकास में तेजी जा सकेंगे। अध्यापक विद्यार्थियों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उनके माता–पिताओं स`ले और दे सकेंगे। अध्यापक उन्हें उच्च शिक्षा के महत्व तो बतला सकेंगे। ऐसे संगठन स्कूलों में अपव्यय और अवरोधन जैसी समस्याओं को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अध्यापक समाज के लोगों तक यह जानकारी पहुंचा सकता है कि लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं और दोनों को ही शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये संगठन स्त्री शिक्षा की साक्षरता दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण दे सकते हैं।

7. नीति निर्माण करने वाली ऊपरी शक्ति नीति के लागू क्षेत्र के प्रशासकों एवं प्रबन्धकों के बीच सीधा सम्बन्ध होना चाहिए। नीति निर्माण करने से पहले नीति निर्माण करने वाले क्षेत्र के प्रशासकों एवं प्रबन्धकों को अपने साथ लेकर चले और उनसे यह जानने की कोशिश करें कि शिक्षा सम्बन्धी नीति को किस प्रकार प्रभावशाली ढ़ंग से लागू किया जा सकता है। प्रशासक अपनी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उस नीति को उसी प्रभावशाली ढंग से लागू करेंगे जिस तरीके से नीति निर्माण को लागू करना चाहते हैं।

8. इस नीति के लागू होने से स्त्री का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक सम्मान बढ़ा है। इसे और भी प्रभावशाली बनाने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए ताकि वह स्वंय पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके।

9. स्कूल में हर विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि बच्चों के माता–पिताओं को इस बात का पूरा पता चले कि उनके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र के अलावा हर क्षेत्र में

आगे बढ़ रहे हैं। यदि उनको ऐसा लगा तो वे स्वयं अपने साथियों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वे उन बच्चों को स्कूल में भेजें जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहे।

10. इस नीति की शत् प्रतिशत सफलता के लिए समाज को स्त्री और पुरुष के भेदभाव को मिटाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

शैक्षिक निहितार्थः

प्रस्तुत अध्ययन से जो तथ्य प्रकाश में आए हैं वे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि छात्राओं की समस्याएं सामान्य स्तर की हैं केवल पारिवारिक तथ्य तथा व्यक्तिगत समस्याएं छात्राओं में अधिक पाई जाती हैं। अतः पारिवारिक समस्याओं के लिए माता–पिता को छात्राओं के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। माता–पिता को अनावश्यक रुप से किशारों को दबाना नहीचाहिए तथा उनके व अपने बीच के Generation Gap को समझना चाहिए।

व्यक्तिगत समस्याएं छात्राओं में अधिक पाई गई है। उनके समाधान के माता–पिता, अध्यापकों तथा शिक्षा शास्त्रियों को चाहिए कि वे छात्राओं को योग्य तथा समर्थ बनने में सहायता उपलब्ध कराए। उन्हें अपना उचित विकास करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तथा वातावरण उपलब्ध कराएं।

आगामी अनुसंधान हेतु सुझावः

शोध कार्य के निष्कर्षों एवं कमियों के आधार पर समस्या के विभिन्न पक्षों को देखते हुए आगामी अनुसंधान हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं।

1. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर के विद्यार्थियों का सह–सम्बन्धात्मक अध्ययन किया जाए।
2. उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पूर्व किशोरावस्था एवं किशोरावस्था के विद्यार्थियों की समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए।
3. उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पूर्व किशोरावस्था की सर्वेगात्मक समस्याओं का अध्ययन किया जाए।
4. विज्ञान वाणिज्य एवं कला विषय के विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए।

अतः अंत में हम कह सकते हैं कि छात्राओं की विभिन्न समस्याओं का गुढ़ एवं सूक्ष्म अध्ययन करके उनका समाधान करने का प्रयास वांछनीय है।